



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 733/NGT-138/OA-97/22/2023

दिनांक 01/08/2023

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) & [ngt.filling@gmail.com](mailto:ngt.filling@gmail.com)

**Sub: Report of the Joint Committee in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 11.05.2023 in O.A. No. 97/2022 in the matter of Salman Miya Vs State of Uttar Pradesh**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject Compliance Report in Original Application No-97/2022 in the matter of Salman Miya Vs State of Uttar Pradesh is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

**Enclosure: Joint report.**

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)  
Regional Officer

**Copy to:**

1. Member Secretary, Central Pollution Control Board, Delhi for information
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
5. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

## BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

## PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

## ORIGINAL APPLICATION NO. 97 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Salman Miya

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh.

...Respondent(s)

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 11.05.2023 in OA 97/2022	1-55
2	<b><u>Annexure I</u></b> – The minutes of meeting.	56
3	<b><u>Annexure II</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 05.07.2023 issued to M/s M J Recycling Pvt Ltd, Plot No. F-44, M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	57-58
4	<b><u>Annexure III</u></b> –Copy of Show Cause Notice dated 05.07.2023 issued to M/s Janseva Metal, Plot No. F-6 and 7, Phase -1, M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	59-60
5	<b><u>Annexure IV</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 19.07.2023 issued to Moh. Jaki, Plot No. F- 85, MG Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	61-62
6	<b><u>Annexure V</u></b> - Copy of Show Cause Notice dated 20.07.2023 issued to M/s Chinta Mani Yadav, Plot No. F- 86, MG Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	63-64
8	<b><u>Annexure VI</u></b> - Copy of Show Cause Notice dated 05.07.2023 issued to M/s Verdeen Chemicals Pvt Ltd, D-11, UPSIDC Industrial Area, Phase - I, Masoorie Gulawati Road,	65-66

	Hapur by UPPCB	
9	<b><u>Annexure VII</u></b> - Copy of notice dated 27.07.2023 issued to M/s 6R Recycler, F-272, M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	67
10	<b><u>Annexure VIII</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 19.07.2023 issued to M/s Tojo Vikas International Pvt Ltd, Plot No. F-289, 290, 291, UPSIDC Industrial Area, Phase-1, M.G. Road, Hapur by UPPCB	68-69
11	<b><u>Annexure IX</u></b> – Copy of issued notice dated 26.07.2023 issued to M/s Sojal Petro Chemicals Industries, Plot No. F-292 & 298- 299, MG Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	70
12	<b><u>Annexure X</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 20.07.2023 to M/s Lakshmi Chem Products Pvt Ltd, F 319 to 322, Phase –I , MG Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	71-72
13	<b><u>Annexure XI</u></b> – Copy of notice dated 25.07.2023 issued to M/s Vision Resins and Resol Pvt Ltd , F-273,274 UPSIDC, Industrial Area, M G ROAD, Hapur by UPPCB	73
14	<b><u>Annexure XII</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s Incotech Inks PG, Plot No-F-630 to F-635, UPSIDC, Phase-II, M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	74
15	<b><u>Annexure XIII</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 20.07.2023 issued to M/s AHCO Recycling Company Plot no. F-583,Industrial area, M.G.Road,Hapur by UPPCB	75-76
16	<b><u>Annexure XIV</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s Omson Chemicals , G-285, M.G. ROAD, Industrial Area, UPSIDC Road No.2, Hapur by UPPCB	77
17	<b><u>Annexure XV</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 19.07.2023 issued to M/s Parara Udyog, F-195 And F-196, M.G. Road, Industrial Area, Hapur by UPPCB	78-79
18	<b><u>Annexure XVI</u></b> – Copy of notice dated 27.07.2023 issued to M/s Shree Balaji Enterprises , G-34-35 & F-34, M. G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	80
19	<b><u>Annexure XVII</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s R S Organics Pvt Ltd, F-156-159, M. G. Road Industrial	81

	Area, Hapur by UPPCB	
20	<b><u>Annexure XVIII</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s Modern Hardware Pvt Ltd, F-175, 176 177, UPSIDC, Industrial Area, M.G. Road, Hapur by UPPCB	82
21	<b><u>Annexure XIX</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s SRK Enterprises , F-144, Phase-1, M.G. Road, Industrial Area, Hapur by UPPCB	83
22	<b><u>Annexure XX</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 05.07.2023 issued to M/s Ganpati Wire & Plastic Products , F -391 ,Phase-1, M.G. Road, Industrial Area, Hapur by UPPCB	84-85
23	<b><u>Annexure XXI</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 28.07.2023 issued to M/s MDT Lubricants India Inc , F 125 Phase-1, M.G Road, Hapur by UPPCB	86-87
24	<b><u>Annexure XXII</u></b> – Copy of notice dated 28.07.2023 issued to M/s Triveni Medichem Pvt Ltd, Plot No. B-12, M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	88
25	<b><u>Annexure XXIII</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 28.07.2023 issued to M/s Lakshmi Chemicals, Plot No. F-24, M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	89-90
26	<b><u>Annexure XXIV</u></b> – Copy of Show Cause Notice dated 28.07.2023 issued to M/s Hello Aromatics Pvt Ltd, Khasra No-19, M G Road, Village Dhera, Hapur by UPPCB	91-92
27	<b><u>Annexure XXV</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s Esquire Estates Private Limited, F-685to 688 M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	93
28	<b><u>Annexure XXVI</u></b> – Copy of closure order dated 20.07.2023 issued to M/s R.S. Enterprises, Plot No. F-689, M.G. Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	94
29	<b><u>Annexure XXVII</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s VDH Chemtech Private Limited, H 127 to 144 M G Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	95
30	<b><u>Annexure XXVIII</u></b> – Copy of closure order dated 20.07.2023 issued to M/s M.K. Industries Plot No. B-56, Phase-1, M.G. Road Industrial area, Hapur by UPPCB	96

31	<b><u>Annexure XXIX</u></b> – Copy of notice dated 27.07.2023 issued to M/s Eminent Polychem, Plot No-G 409, M G Road, Industrial Area,Hapur by UPPCB	97
32	<b><u>Annexure XXX</u></b> – Copy of recommendation letter dated 28.06.2023 for issuance of closure order U/S 32(1)(C) of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, along with impositions of Environmental compensation of till the compliance has been done by industry.	98-100
33	<b><u>Annexure XXXI</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s A S Enterprises, F-644 ,F-643, M G Road Industrial Area, Hapur by UPPCB	101
34	<b><u>Annexure XXXII</u></b> – Copy of recommendation letter dated 28.06.2023 for issuance of closure order U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of till the compliance has been done by industry	102-103
35	<b><u>Annexure XXXIII</u></b> – Copy of notice dated 26.07.2023 issued to M/s Centramac , F-676 to 678, M.G. Road, Industrial Area, Hapur by UPPCB	104
36	<b><u>Annexure XXXIV</u></b> – Copy of notice dated 25.07.2023 issued to M/s MGL Pharma and Chemicals Pvt Ltd, F-665 & 666, Phase-1, Industrial Area, M.G. Road, Hapur by UPPCB	105

FILED BY

Vikas Mishra  
Regional Officer, UPPCB  
GHAZIABAD

**Compliance report**

**In**

**Original Application No. 97/2022**

**Salman Miya**

**Versus**

**State of Uttar Pradesh**

**Order Dated -11.05.2023**

Filed on Behalf of:

Uttar Pradesh Pollution Control Board

## 1. Background

The applicant Shri Salman Miya had sent a complaint by post to the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) alleging that illegal acid and chemical factories are operating without license as well as burning e-waste in the open in the area of Village Chivra, PS Dholana, District Hapur by Naseen Muradabadi, Mullah Javed, Aslam, Shami, Rashid Aslam, M/s P. Textiles, Sayeed, M/s Irshad Janta Group, Danish, Shakeel. In view of said complaint, Hon'ble NGT had passed following order dated 04.02.2022: -

“...Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the CPCB, State PCB, Superintendent of Police and District Magistrate- Hapur (Uttar Pradesh). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance....”

In compliance of orders of Hon'ble Tribunal, State Board being the nodal agency coordinated with Central Pollution Control Board, New Delhi, District Administration, Hapur and Police Administration, Hapur and inspected the area in question on 23.04.2022 and on 29.08.2022 and identified defaulter units and initiated action. Report regarding same has been submitted in Hon'ble Tribunal on 14.10.2022 and dated 10.12.2022.

## 2. **Order passed by Hon'ble Tribunal on dated 16.03.2023:-**

“.....10. In order to verify the factual position regarding running of any other such hazardous industries in industrial as well as non-conforming areas of District Hapur, the Joint Committee already constituted is directed to

*Lupus*

undertake the requisite visits, verify the factual position and submit its report regarding compliance with environmental norms by any other hazardous chemical industries operating in industrial/non-conforming area of District Hapur within one month by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of Word file/searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.....”

3. In compliance to the aforesaid direction Joint committee members was held a meeting on dated 19.05.2023 for discuss about fact and prepare action plan towards Hon'ble NGT order dated 16.03.2023. The same minutes of meeting is annexed as **Annexure-I**. Further Joint committee of Official of UPPCB, CPCB and District Administration inspected some industries situated in M.G. Road Industrial area, Hapur. The observation made during inspections are follows:-

**M/s S F Recycling Pvt Ltd, Plot No. F-4, M.G. Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- It was observed that the unit is involved in dismantling of E wastes.
- The unit has provided cyclonic dust collector with stack as air pollution control system.
- The unit was observed operating with valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit could not produce records of disposal of hazardous wastes. The unit informed that it does not generate hazardous wastes. The dismantled E wastes are sold to respective recyclers.

*WPS*

**M/s M J Recycling Pvt Ltd, Plot No. F-44, M.G. Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- It was observed that the unit is involved in dismantling of E wastes.
- The unit was found operating without valid Consent to Operate.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981 along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-II.**

- Photographs taken during visit are as follows :-

**M/s Janseva Metal, Plot No. F-6 and 7, Phase -1, M.G. Road Industrial Area,****Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- It was observed that the unit carries out metal casting.

*copy*

- The unit uses hard coke as fuel in the furnace. The unit has provided a wet scrubber and a stack of about 15 feet as air pollution control system.
- The unit was found operating without valid Consent to Operate under Air and water Act.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-III.**

- Photographs taken during inspection are as follows :-



**M/s Hayat E-Recyclers Private Limited, Plot No. F-53 F-54, M G Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- The unit carries out dismantling and recycling of E Waste and manufacturing of non ferrous copper and brass ingots (through recycling).

*Lupuz*

- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit has provided cyclonic dust collector and wet scrubber as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through M/s Ramky Enviro Engineers Ltd, Kanpur Dehat , U.P.

**M/s Hayat E Recyclers Pvt Ltd , F-55, M G Road , Industrial, Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- The unit carries out manufacturing of lead ingots.
- The unit has obtained valid Consent to Operate and has applied for authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed non operational.
- The unit has provided cyclonic dust collector, bag house and wet scrubber as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through M/s Ramky Enviro Engineers Ltd, Kanpur Dehat , U.P.

**M/s P B Metals, F-61 62, M G Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- The unit carries out manufacturing of lead ingots.
- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed operational.

*copy*

- The unit has provided dust settling chamber, cyclonic dust collector, bag house and wet scrubber as air pollution control system.
- The unit has agreement with Bharat Oil & Waste Management Ltd., Kanpur Dehat , U.P. for disposal of hazardous wastes.

**M/s Krishna Organics, F-99 to 102, MG Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- The unit carries out distillation of organic solvents.
- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed operational .
- The unit was observed using bio-briquettes as a fuel and has installed cyclonic dust collector as air pollution control system.
- The unit has installed evaporator for effluent treatment. The unit informed that treated effluent is used in cooling tower.

**Moh. Jaki, Plot No. F- 85, MG Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- The unit was operational. It was observed that the unit is involved in recovery of metals from E wastes using furnace and treatment with Nitric acid.
- The unit has not obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules. The unit was observed operating anonymously.

*copy*

- The unit has not installed any air pollution control system for controlling emissions from furnace and acid treatment process.
- The unit has not installed any effluent treatment plant which indicates that the generated process effluent is disposed without any treatment.
- The unit was observed using coal which is not an approved fuel for such industries.
- The unit could not provide any records regarding disposal of hazardous wastes, indicating that the unit may be disposing its hazardous wastes in unauthorized manner.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 19.07.2023 U/S 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-IV.**

- Photographs taken during inspection are as follows :-



*Upd*

**M/s Chinta Mani Yadav, Plot No. F- 86, MG Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- The unit was operational. It was observed that the unit is involved in recovery of metals from E wastes by treatment with Nitric acid
- The unit has not obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules. The unit was observed operating anonymously.
- The unit has not installed any air pollution control system for controlling emissions from acid treatment process.
- The unit has not installed any effluent treatment plant which indicates that the generated process effluent is disposed without any treatment.
- The unit could not provide any records regarding disposal of hazardous wastes, indicating that the unit may be disposing its hazardous wastes in unauthorized manner.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 20.07.2023 U/S 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-V.**

- Photographs taken during inspection are as follows :-

*Unfiled*



**M/s Verdeen Chemicals Pvt Ltd, D-11, UPSIDC Industrial Area, Phase - I,  
Masoorie Gulawati Road, Hapur:-**

- The unit was inspected on 29.05.2023.
- The unit carries out recovery of metal and metal salts from batteries using chemical treatments.
- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed operational.
- The unit has agreement with Ramky U.P. Waste Management Project., for disposal of hazardous wastes.
- The unit was observed storing hazardous wastes like spent chemicals, discarded chemical containers etc. in open near the storm water drain which

*Verdeen*

leads to municipal drain; because of which during rainy seasons, the possibility of pollution of drain cannot be ruled out.

- The process wastes from the process area were observed being collected in a storm water drain and in an underground pit.
- It was observed that the unit has not provided any proper arrangements for scientific and safe storage of hazardous wastes.
- The unit has not provided any Effluent Treatment Plant. The Consent to Operate granted to the unit does not stipulate quantity of industrial effluent generated and effluent discharge standards to be complied by the unit. However, in view of overall process, it is recommended that the unit may be directed to install an adequate Effluent Treatment Plant.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-VI.**

- Photographs taken during inspection are as follows :-



*copy*



**M/s 6R Recycler, F-272, M.G. Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit carries out recycling and refurbishing of E Waste
- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed closed. It was informed by the employee present there that the unit is closed since six months.
- The unit has installed air pollution control system as per conditions of Consent to Operate.
- It was observed that the unit has provided 04 Pit furnaces, whereas the Consent to Operate has permitted only 01 pit furnace.
- Further the furnaces are provided with oil / liquid fuel burners and pipelines, which is not in accordance with the conditions of Consent to Operate.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 27.07.2023 **Annexure-VII**

- Photographs taken during inspection are as follows :-

*Wp*



**M/s Tojo Vikas International Pvt Ltd, Plot No. F-289, 290, 291, UPSIDC**

**Industrial Area, Phase-1, M.G. Road, Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit manufactures menthol.
- The unit has obtained valid Consent to Operate.
- The unit was observed operational.
- It was informed that the unit does not generate any trade effluent and hazardous wastes.
- The unit was observed using wooden logs as fuel in the thermopack. Wooden logs are not approved fuel as per orders of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas.
- The unit was observed using wooden logs as fuel in the thermopack. Wooden logs are not approved fuel as per orders of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas.
- The air pollution control system (cyclonic dust collector) provided by the unit was observed dysfunctional and emissions were observed leaking from the stack provided to the thermopack.

*Wajid*

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 19.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 9,75,000/- the compliance has been done by industry. **Annexure-VIII.**

- Photographs taken during inspection are as follows:-



**M/s Sojal Petro Chemicals Industries, Plot No. F-292 & 298- 299, MG Road**

**Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit carries out manufacturing of thinner and distillation of organic solvents.
- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed non operational . It was informed that the unit is non operational since one month because of maintenance.

*Copy 2*

- The consent to operate issued to the unit has not stipulated the quantity of industrial effluent discharge and discharge standards. The unit has not installed effluent treatment plant. However, in view of overall process of the unit and likelihood of generation of effluent in the event of entry of storm water to the process area or storage area and through activities like equipment cleaning and process area cleaning, it is recommended that the unit may be directed to provide adequate effluent treatment plant.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB. **Annexure-IX**

**M/s Lakshmi Chem Products Pvt Ltd, F 319 to 322, Phase -I , MG Road**

**Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit carries out manufacturing of thinner through mixing of organic solvents.
- The unit was observed operational.
- The unit has not obtained Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed storing hazardous chemicals viz. Ethyl Acetate and Toluene. However, the unit could not provide any evidence regarding disposal of hazardous wastes (empty barrels of hazardous chemicals).

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated

*cupu*

20.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-X.**

- Photographs taken during inspection are as follows:-



**M/s Vision Resins and Resol Pvt Ltd , F-273,274 UPSIDC, Industrial Area, M G ROAD, Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit manufactures Phenolic Resins
- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed operational.
- The unit was observed using LPG as fuel in thermopack.
- The unit disposes its hazardous wastes to Bharat Oil & Waste Management Ltd., Kanpur Dehat , U.P.
- The Effluent Treatment Plant of the unit was not in working condition. The unit informed that it generates less than 0.5 KL per day of process effluent. It

*Wpuz*

operates its Effluent Treatment Plant batch wise after sufficient collection of effluent.

- To verify the operational status of Effluent Treatment Plant, the unit was again inspected on 20.07.2023. It was observed that the Effluent Treatment Plant of the unit was still not in working condition. It was also observed that the unit has provided bypassing arrangement of effluent from the collection tank to the municipal drain.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 25.07.2023 by UPPCB. **Annexure-XI**

- Photograph taken during visit on 20.7.2023.



**M/s Leena Organics Pvt Ltd, A-11 and 12, Phase-2, UPSIDC Industrial Area,**

**M.G. Road Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit manufactures organic chemicals through waste solvent distillation.

*u pax*

- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed operational.
- The unit uses bio briquette as fuel in its 3 TPH boiler
- The unit has installed cyclone dust collector and wet scrubber as air pollution control system.
- The unit has installed Effluent Treatment Plant for treatment of trade effluent.

**M/s Incotech Inks PG, Plot No-F-630 to F-635, UPSIDC, Phase-II, M.G. Road**

**Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit manufactures ethyl acetate using ethyl alcohol and acetic acid.
- The unit has obtained valid Consent to Operate.
- The unit was observed non operational. The unit informed that it is non operational since 10 days because of maintenance work.
- The unit uses bio briquette as fuel in its 5 TPH boiler.
- The unit has installed wet scrubber as air pollution control system.
- The consent to operate issued to the unit has not stipulated the quantity of industrial effluent discharge and discharge standards. The unit has not installed effluent treatment plant. However, in view of overall process of the unit and likelihood of generation of effluent in the event of entry of storm water to the process area or storage area and through activities like equipment cleaning and

*W/ple*

process area cleaning, it is recommended that the unit may be directed to provide adequate effluent treatment plant.

- The unit has not obtained authorization under Hazardous & Other Waste Rules.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB **Annexure-XII**.

**M/s AHCO Recycling Company Plot no. F-583, Industrial area,**

**M.G.Road,Hapur:-**

- The unit was inspected on 05.06. 2023.
- The unit is involved in recycling of waste plastic.
- The unit was found operational without obtaining Consent to Operate from Uttar Pradesh Pollution Control Board.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 20.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-XIII**.

- Photographs taken during inspection are as follows:-



*copy*

**M/s Greeniva Recycler Pvt Ltd , Plot No. G-284, M.G ROAD, Industrial Area,**

**Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit was observed closed since one year as informed by the security guard present there.
- The unit has obtained valid consent to operate for dismantling and segregation of e-waste.

**M/s Omson Chemicals , G-285, M.G. ROAD, Industrial Area, UPSIDC Road**

**No.2, Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit manufactures metal finishing chemicals by mixing orthophosphoric acid and sodium silicate.
- The unit was observed operational.
- Unit could not produce any evidence regarding disposal of hazardous waste viz. empty containers of orthophosphoric acid.
- The unit is likely to generate process of effluent through activities like floor washing, equipment washing etc, however the unit has not provided effluent treatment plant.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB Annexure-XIV.

*uptd*

**M/s Arsh Recycling Pvt Ltd , F-203, UPSIDC Industrial Area, M.G. Road,**

**Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit is involved in dismantling segregation and recycling of e-waste.
- The unit has installed cyclone dust collector and wet scrubber as air pollution control system to stack of 30 m.
- The unit disposes its hazardous waste through M/s UP Waste Management Project, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh.

**M/s Parara Udyog, F-195 And F-196, M.G. Road, Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate.
- The unit carries out reconditioning of contaminated barrels and containers through washing with water.
- The Effluent Treatment Plant of the unit was observed defunct.
- The unit has provided arrangements for bypassing untreated effluent to the municipal drain adjacent to the unit and the unit was observed bypassing untreated effluent to the said municipal drain

*Report*

- The unit could not produce any evidence of disposal of hazardous wastes. The unit could not produce any evidence of disposal of hazardous wastes.
- In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 19.07.2023 U/S 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-XV.**
- Photographs taken during inspection are as follows:-



**M/s Shree Balaji Enterprises , G-34-35 & F-34, M. G. Road Industrial Area,**

**Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.

*Leptu*

- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit manufactures lead ingots by recycling of waste batteries
- The unit has installed wet scrubber as air pollution control system.
- The unit could not produce any evidence of disposal of hazardous wastes.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated

27.07.2023 **Annexure-XVI**

**M/s R S Organics Pvt Ltd, F-156-159, M. G. Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit manufactures Formaldehyde.
- The unit has installed effluent treatment plant for treatment of process effluent.
- The unit has installed cyclonic dust collector as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Kanpur Dehat , U.P.
- The unit has production capacity of 30 MT/day of Formaldehyde.
- The unit informed that it has storage capacity of 250 KL of Formaldehyde.

*u/p*

- In view of threshold quantity of Formaldehyde stipulated in Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989, the unit is required to prepare on-site emergency plan containing details specified in the said rules and is required to prepare the safety audit report and has to update the safety audit report once a year by conducting a fresh safety audit and forward a copy of it with his comments thereon within 30 days to the concerned Authority as stated in the said rules. However, the unit could not show any records regarding on-site emergency plan and safety audit report.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB Annexure-XVII

**M/s Modern Hardware Pvt Ltd, F-175, 176 177, UPSIDC, Industrial Area, M.G.**

**Road, Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate for manufacturing of Building Hardware Goods with Zinc, Chrome & Nickel Plating.
- The unit has installed effluent treatment plant for treatment of process effluent.
- The unit has installed wet Scrubber as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through U.P. Waste Management Project , Kanpur Dehat , U.P. However, The unit could not show authorization under hazardous wastes rules.

*Uppcb*

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB Annexure-XVIII

**M/s SRK Enterprises , F-144, Phase-1, M.G. Road, Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit carries out recovery of solvents through distillation.
- The unit disposes its hazardous wastes to Bharat Oil & Waste Management Ltd., Kanpur Dehat , U.P.
- The unit has provided effluent treatment plant for treatment of process effluent . Effluent Treatment Plant was not being operated and was not in working condition. The dosing equipment above the dosing tank were observed defunct  
The unit informed that it started its operations on 31.5.2023. It operates Effluent Treatment Plant batch wise and shall operate Effluent Treatment Plant after collection of sufficient process effluent. The unit informed that it is in process of repairing its effluent treatment plant,
- To verify the operational status of Effluent Treatment Plant, the unit was again inspected on 20.07.2023. It was observed that the Effluent Treatment Plant of the unit was still not in working condition. The dosing equipment above the dosing tank were still observed defunct and dried.

*u/s*

- No improvement in the condition of effluent treatment plant was observed even after one and half months. This indicates that the unit does not run its effluent treatment plant regularly and carries out unauthorized discharge of effluent.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 Annexure-XIX

- Photographs taken during inspection on 20.7.2023 are as follows :-



**M/s Ganpati Wire & Plastic Products , F -391 ,Phase-1, M.G. Road, Industrial**

**Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 07.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit could not produce consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit informed that it manufactures Ferrous Sulphate by reacting Sulphuric acid with iron containing wastes from iron processing industries.
- The unit has not installed any effluent treatment plant indicating that the generated process effluent is disposed without any treatment.

*Weply*

- The unit could not provide any records regarding disposal of process sludge / spent acid (hazardous wastes), indicating that the unit may be disposing its hazardous wastes in unauthorized manner.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-XX.**

- Photographs taken during visit are as follows :-



**M/s B.R.P. Infotech Pvt. Ltd., Plot No. F-394, Phase-1, Industrial Area, M.G. Road, Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.

*Kupley*

- The unit was observed operational. Furnace was not observed being operated during visit.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit carries out Recycling & Dismantling of E Waste
- The unit has installed bag house as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through UP Waste Management Project, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh.

**M/s B.R.P. Infotech Pvt. Ltd., Plot No. F-381, Industrial Area, M.G. Road, Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit carries out dismantling and segregation of E Waste
- The unit has agreement with U.P. Waste Management Project, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh for disposal of its hazardous waste .

**M/s Shivam Foundry, F-382, M.G. Road Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate
- The unit manufactures LPG stove parts.

*Wsply*

- The unit could not produce authorisation under hazardous waste rules. The unit informed that it does not use any chemical and does not generate hazardous waste

**M/s Angad Organics , Plot No. F-127,Phase-1, UPSIDC M.G. Road Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit carries out formulation of pesticides.
- The unit does not generate any process effluent as informed.
- The unit disposes its hazardous wastes through M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Kanpur Dehat , U.P.

**M/s MDT Lubricants India Inc , F 125 Phase-1, M.G Road, Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate of the unit was expired on 31/03/2023.
- The unit could not produce authorisation under hazardous waste rules.
- The unit was observed using diesel as fuel in thermopack , which is contravening to the condition of consent to operate.
- The unit does not generate any process effluent as informed.
- The unit manufactures engine oil, grease etc.

*Wiply*

- The unit could not produce any evidence regarding authorized disposal of hazardous wastes viz. oil soaked cotton waste..

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 28.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-XXI.**

- Photographs taken during inspection are as follows:-



**M/s Epoxy House , F-118 F-119, M.G. Road, Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.

*Wpky*

- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate
- The unit carries out cutting of laminated sheets.
- No process effluent or process emission generating activity was observed.

**M/s Triveni Medichem Pvt Ltd, Plot No. B-12, M.G. Road Industrial Area,**

**Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit carries out distillation of organic chemicals and production of thinner.
- The unit representative informed that its plant was closed since October 2022 and has resumed its operations on 10.06.2023.
- The unit has installed cyclonic dust collector and wet scrubber to stack of Thermopack as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Kanpur Dehat , U.P .
- The consent to operate issued to the unit has not stipulated the quantity of industrial effluent discharge and discharge standards. The unit has not installed effluent treatment plant. However, in view of overall process of the unit and likelihood of generation of effluent in the event of entry of storm water to the process area or storage area and through activities like equipment cleaning and

*u/p/*

process area cleaning, it is recommended that the unit may be directed to provide adequate effluent treatment plant.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 28.07.2023 **Annexure-XXII**

**M/s A K Metal, Plot No. H-3, M.G. Road Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 12.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit is having valid consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit carries out manufacturing of lead ingots from waste batteries.
- The unit has installed bag house and wet scrubber to stack of lead smelting furnace as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through M/s Sheetala Waste Management Project., Bulandshahar, U.P.

**M/s Lakshmi Chemicals, Plot No. F-24, M.G. Road Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit manufactures printing ink.
- The consent to operate issued to the unit was valid up to 31.07.2019. The unit failed to produce any consent to operate issued thereafter.
- The unit failed to produce authorisation under hazardous waste rules.
- The unit failed to produce any records regarding disposal of hazardous wastes viz. spent solvents, process residues, empty container of solvents etc.

*Lupus*

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 28.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-XXIII.**

- Photographs taken during inspection are as follows:-



Luply  
21

**M/s B N Metals H-35, M.G. Road Hapur**

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit carries out dismantling and recycling of E waste.
- The unit has obtained consent to operate
- The unit has applied for authorisation under hazardous waste rules.
- The unit has installed wet scrubber as Air Pollution Control System.
- Only dismantling work was observed being carried out. The pit furnace was observed non operational.

**M/s Hello Aromatics Pvt Ltd, Khasra No-19, M G Road, Village Dhera, Hapur**

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed non operational. It was informed that the unit is closed since 05.05.2023 because of maintenance work.
- The unit was observed having valid consent to operate.
- The unit has manufacturing facility for chemicals viz. L Carvone, Carvacarol, Menthol, Menthone and Carvone. The manufacturing process involves hydrogenation in presence of catalyst and distillation.
- The unit shown an invoice which shows that the unit purchased wood on 30.4.2023.
- As per conditions of consent to operate, the unit is required to provide effluent treatment plant and sewage treatment plant. However, the unit has not provided effluent treatment plant as well as sewage treatment plant.
- The unit could not produce authorization under hazardous waste rules.

*Wafiq*

- The unit could not produce any records of disposal of hazardous wastes viz. process residue and spent catalyst.
- At the time of inspection, wooden logs are stored in thermopack area. Wooden logs are not approved fuel as per orders of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice dated 28.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500/per day till the compliance has been done by industry. **Annexure-XXIV.**

- Photographs taken during inspection are as follows : -



**M/s More Bright E Waste Recycler Private Limited, C - 78, Phase - III, M.G.**

**Road Industrial Area, Hapur:-**

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed non operational. It was informed by the security guard present there that the unit is closed since about a week.

*Lufay*

- The unit has obtained consent for dismantling, segregation and recycling of E Waste and has obtained authorisation under hazardous waste rules.

**M/s Esquire Estates Private Limited, F-685to 688 M.G. Road Industrial Area,**

**Hapur:-**

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed non operational. It was informed by the security guard present there that the unit is closed since 16 February , 2023.
- The unit has obtained consent for production of Formaldehyde (2000 Metric Tonnes/Month).
- It was observed that the unit has provided 03 tanks of 180 MT each for storage of formaldehyde.
- In view of threshold quantity of Formaldehyde stipulated in Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989, the unit is require prepare on-site emergency plan containing details specified in the said rules and is required to prepare the safety audit report and has to update the safety audit report once a year by conducting a fresh safety audit and forward a copy of it with his comments thereon within 30 days to the concerned Authority as stated in the said rules. Hence, it is recommended that the unit may be directed for the same.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB Annexure-XXV

**M/s R.S. Enterprises, Plot No. F-689, M.G. Road Industrial Area, Hapur:-**

*copy*

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit could not produce consent to operate and authorisation under hazardous waste rules.
- The unit carries out processing of E Waste. It was observed that E waste is grinded and the finely ground E Waste is conveyed to an area having continuous running water so that heavy metal containing portion is settled down and lighter portion is washed off.
- The unit has not installed any air pollution control system to area where grinding of E waste is carried out.
- The unit has not installed any effluent treatment plant.
- It was observed that the untreated process effluent which is likely to contain suspended solids, organic matter and heavy metals was continuously being pumped to the adjacent municipal drain. The municipal drain was observed choked because of continuous pumping of effluent and the effluent was overflowing to the adjacent land from the drain.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued closure order dated 20.07.2023 U/S 32(1)(C) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with show cause for impositions of Environmental compensation of Rs. 16,50,000/.

**Annexure-XXVI.**

- Photographs taken during inspection are as follows:-

*upuz*



**M/s VDH Chemtech Private Limited, H 127 to 144 M G Road Industrial Area,  
Hapur**

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit is having valid consent to operate The unit carries out manufacturing of chemicals viz. Meta Cresol, Para Cresol, Butylated Hydroxy Toluene.
- The unit has installed cyclonic dust collectors to stacks of Thermic Fluid Heater.
- The unit has installed effluent treatment plant for treating of process effluent.

*copy 2*

- The unit could not produce authorisation under hazardous waste rules, however the unit shown record that it disposed hazardous wastes through M/s Sheetala Waste Management Project., Bulandshahar , U.P.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB. **Annexure-XXVII.**

**M/s M.K. Industries Plot No. B-56, Phase-1, M.G. Road Industrial area, Hapur**

- The unit was inspected on 20.06.2023.
- The unit was observed non operational.
- It was observed that the unit has provided facility viz. reactors, distillation columns etc. for synthesis of chemicals. About 50 barrels of ethyl acetate and other chemicals were also observed. However, the unit could not show consent to operate / consent to establish for such unit.

In view of the above default as per recommendation of RO, UPPCB, Ghaziabad, Head Office, UPPCB, Lucknow has issued closure order dated 20.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981 along with show cause for impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500 per day till the compliance has been done by industry . **Annexure-XXVIII.**

- Photographs taken during inspection are as follows:-

*uptu*



**M/s Green Earth Recycler , Plot No. F-557, Industrial Areal, M G Road, Hapur,**

- The unit was inspected on 27.06.2023.
- The unit was observed non operational.
- The unit has obtained consent to operate for dismantling and segregation of E waste and authorization under hazardous waste rules.

**M/s Eminent Polychem, Plot No-G 409, M G Road, Industrial Area,Hapur**

- The unit was inspected on 27.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit has obtained valid consent for manufacturing of varnishes , enamels or lacquers through mixing and blending.
- The unit could not show authorization under hazardous waste rules or evidence of disposal of hazardous wastes.

*upur*

- The unit informed that it does not generate any process residues and empty barrels are disposed to recyclers.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 27.07.2023 Annexure-XXIX

**M/S Akshay Mechatronics (India), Plot No. G-410, Phase -II, M.G. Road Industrial Area, Hapur**


- The unit was inspected on 27.06.2023.
- The unit was observed operational.
- The unit makes switch gear boxes. The unit carries out powder coating and metal surface treatment (phosphating).
- The unit could not show consent to operate and authorization under hazardous waste rules. The unit informed that it has not obtained consent to operate and authorization under hazardous waste rules.
- Containers containing process effluent were observed stored in the unit premises.
- The unit has not provided any effluent treatment plant for treating process effluent, which indicates unauthorized disposal of untreated effluent by the unit.
- The unit could not show any evidence of authorized disposal of hazardous wastes viz. process sludge, which indicates unauthorized disposal of hazardous wastes.

*copy*

- The unit informed that it uses diesel in powder coating process; which is not approved fuel as per orders of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas.

In view of the above default recommendation sent to Head Office, UPPCB for issuance of Show Cause Notice U/S 33A of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000/per day till the compliance has been done by industry vide letter dated 28.06.2023. **Annexure-XXX.**

- Photographs taken during visit are as follows :-



*Uppcb*

**M/s A Q Recycling, Plot No-F-639, UPSIDC, Industrial Area, M. G. Road, Hapur**

- The unit was inspected on 27.06.2023.
- The unit was non operational.
- The unit has valid consent to operate for recycling of E Wastes and has obtained authorization under hazardous waste rules.
- The unit has installed cyclone dust collector as a Air Pollution control system.

**M/s A S Enterprises, F-644 ,F-643, M G Road Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 27.06.2023.
- The unit carries out manufacturing of lead ingots from waste batteries.
- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed operational.
- The unit has installed bag house and wet scrubber as air pollution control system.
- The unit could not provide any evidence regarding disposal of hazardous wastes.
- In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB. **Annexure-XXXI.**

**M/s DKY Sales Pvt Ltd , F-699, F-700, F-701 and G-633, G-634, G-635, MG Road, Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 20.07.2023.
- The unit carries out galvanization on steel sheets.

*uppu*

- The unit has obtained valid Consent to Operate and authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit was observed operational.
- The unit has installed alkali scrubber as air pollution control system.
- The unit disposes its hazardous wastes through M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Kanpur Dehat , U.P.

**M/s Greenberry RG Healthcare (India) Pvt Ltd , F -710 to 715, Phase -I, MG Road, Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 20.07.2023.
- The unit was observed operational. The unit manufactures flexible packaging material using PET film , Ethyl Acetate and inks.
- The unit has a biomass fired thermopack.
- The unit could not produce consent to establish / consent to operate and authorization under hazardous waste rules.
- The unit could not show records of disposal of hazardous wastes.
- The workers of unit were observed dumping process waste containing inks and ethyl acetate on the roadside near to the unit.

In view of the above default RO, UPPCB has sent recommendation to Head Office, UPPCB for issuance of Show Cause Notice U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981 vide letter dated 25.07.2023. **Annexure-XXXII.**

- Photographs taken during inspection are as follows :-

*Uppcb*



**M/s Centramac , F-676 to 678, M.G. Road, Industrial Area, Hapur**

- The unit was inspected on 20.07.2023.
- The unit was observed operational. The unit manufactures Pyrolysis Oil, Carbon Black & Steel Wire by pyrolysis of waste tyres.
- The unit has obtained valid Consent to Operate
- The unit could not produce authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit could not produce any records regarding disposal of hazardous wastes.
- The bags containing process wastes were observed stored improperly in open area.
- Unit has installed effluent treatment plant for treatment of scrubbing water and cooling etc. At time of inspection effluent treatment plant was not found operational.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 26.07.2023 by UPPCB **Annexure-XXXIII**.

- Photographs taken during inspection are as follows :-

*cupu*



**M/s MGL Pharma and Chemicals Pvt Ltd, F-665 & 666, Phase-1, Industrial Area, M.G. Road, Hapur:-**

- The unit was inspected on 20.07.2023.
- The unit was observed operational. The unit manufactures Bulk Drugs (Intermediate and API).
- The unit has obtained valid Consent to Operate .
- The unit could not produce authorization under Hazardous & Other Waste Rules.
- The unit could not produce any records regarding disposal of hazardous wastes viz. process residues and sludge generated from effluent treatment.
- The effluent treatment plant of the unit was observed non-operational and poorly maintained.

In view of the above default notice has sent to industry vide letter dated 25.07.2023 by UPPCB Annexure-XXXIV

*Wspuz*

- Photograph of effluent treatment plant is as follows :



### Summary of the Industries:-

Sl. No.	Industry name and Address	Date of inspection	Complying/Non-Complying	Action taken
1.	M/s S F Recycling Pvt Ltd, Plot No. F-4, M.G. Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Complying	-
2.	M/s M J Recycling Pvt Ltd, Plot No. F-44, M.G. Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry
3.	M/s Janseva Metal, Plot No. F-6 and 7, Phase -1, M.G. Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with

*kepler*

				impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry
4.	M/s Hayat E-Recyclers Private Limited, Plot No. F-53 F-54, M G Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Complying	-
5.	M/s Hayat E Recyclers Pvt Ltd , F-55, M G Road , Industrial, Area, Hapur	29.05.2023	Complying	-
6.	M/s P B Metals, F-61 62, M G Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Complying	-
7.	M/s Krishna Organics, F-99 to 102, MG Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Complying	-
8.	Moh. Jaki, Plot No. F-85, MG Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 19.07.2023 U/S 33A of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry
9.	M/s Chinta Mani Yadav, Plot No. F- 86, MG Road Industrial Area, Hapur	29.05.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 20.07.2023 U/S 33A of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry

*Weply*

10.	M/s Verdeen Chemicals Pvt Ltd, D-11, UPSIDC Industrial Area, Phase - I, Masoorie Gulawati Road, Hapur	29.05.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 33A of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry
11.	M/s 6R Recycler, F-272, M.G. Road Industrial Area, Hapur	05.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 27.07.2023
12.	M/s Tojo Vikas International Pvt Ltd, Plot No. F-289, 290, 291, UPSIDC Industrial Area, Phase-1, M.G. Road, Hapur	05.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 19.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 9,75,000.
13.	M/s Sojal Petro Chemicals Industries, Plot No. F-292 & 298-299, MG Road Industrial Area, Hapur	05.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023
14.	M/s Lakshmi Chem Products Pvt Ltd, F 319 to 322, Phase -I , MG Road Industrial Area, Hapur	05.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 20.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry
15.	M/s Vision Resins and	05.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice

	Resol Pvt Ltd , F-273,274 UPSIDC, Industrial Area, M G ROAD, Hapur	And 20.07.2023		for compliance vide letter dated 25.07.2023
16.	M/s Leena Organics Pvt Ltd, A-11 and 12, Phase- 2, UPSIDC Industrial Area, M.G. Road Hapur	05.06.2023	Complying	-
17.	M/s Incotech Inks PG, Plot No-F-630 to F-635, UPSIDC, Phase-II, M.G. Road Industrial Area, Hapur	05.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023
18.	M/s AHCO Recycling Company Plot no. F- 583,Industrial area, M.G.Road, Hapur	05.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 20.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7500 per day till the compliance has been done by industry
19.	M/s Greeniva Recycler Pvt Ltd , Plot No. G-284, M.G ROAD, Industrial Area, Hapur	07.06.2023	Complying	-
20.	M/s Omson Chemicals , G-285, M.G. ROAD, Industrial Area, UPSIDC Road No.2, Hapur	07.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023
21.	M/s Arsh Recycling Pvt Ltd , F-203, UPSIDC Industrial Area, M.G. Road, Hapur	07.06.2023	Complying	-
22.	M/s Parara Udyog, F-195 And F-196, M.G. Road, Industrial Area, Hapur	07.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 19.07.2023 U/S 33A of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with impositions of

				Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry
23.	M/s Shree Balaji Enterprises , G-34-35 & F-34, M. G. Road Industrial Area, Hapur	07.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 27.07.2023
24.	M/s R S Organics Pvt Ltd, F-156-159, M. G. Road Industrial Area, Hapur	07.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 27.07.2023
25.	M/s Modern Hardware Pvt Ltd, F-175, 176 177, UPSIDC, Industrial Area, M.G. Road, Hapur	07.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023
26.	M/s SRK Enterprises , F-144, Phase-1, M.G. Road, Industrial Area, Hapur	07.06.2023 and 20.07.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023
27.	M/s Ganpati Wire & Plastic Products , F -391 ,Phase-1, M.G. Road, Industrial Area, Hapur	07.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 05.07.2023 U/S 33A of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry
28.	M/s B.R.P. Infotech Pvt. Ltd., Plot No. F-394, Phase-1, Industrial Area, M.G. Road, Hapur	12.06.2023	Complying	-
29.	M/s B.R.P. Infotech Pvt. Ltd., Plot No. F-381, Industrial Area, M.G. Road, Hapur	12.06.2023	Complying	-
30.	M/s Shivam Foundry, F-382, M.G. Road Hapur	12.06.2023	Complying	-
31.	M/s Angad Organics ,	12.06.2023	Complying	-

*uppc*

	Plot No. F-127,Phase-1, UPSIDC M.G. Road Industrial Area, Hapur			
32.	M/s MDT Lubricants India Inc , F 125 Phase-1, M.G Road, Hapur	12.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 28.07.2023 U/S 3A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 198 along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500 per day till the compliance has been done by industry
33.	M/s Epoxy House , F-118 F-119, M.G. Road, Industrial Area, Hapur	12.06.2023	Complying	-
34.	M/s Triveni Medichem Pvt Ltd, Plot No. B-12, M.G. Road Industrial Area, Hapur	12.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 28.07.2023
35.	M/s A K Metal, Plot No. H-3, M.G. Road Industrial Area, Hapur	12.06.2023	Complying	-
36.	M/s Lakshmi Chemicals, Plot No. F-24, M.G. Road Industrial Area, Hapur	20.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 28.07.2023 U/S 3A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 198 along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500 per day till the compliance has been done by industry
37.	M/s B N Metals H-35, M.G. Road Hapur	20.06.2023	Complying	-
38.	M/s Hello Aromatics Pvt Ltd, Khasra No-19, M G Road, Village Dhera, Hapur	20.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued Show Cause Notice dated 28.07.2023 U/S 3A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 198 along with impositions of

*Copy*

				Environmental compensation of Rs. 7,500 per day till the compliance has been done by industry
39.	M/s More Bright E Waste Recycler Private Limited, C - 78, Phase - III, M.G. Road Industrial Area, Hapur	20.06.2023	Complying	-
40.	M/s Esquire Estates Private Limited, F-685to 688 M.G. Road Industrial Area, Hapur	20.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 27.07.2023
41.	M/s R.S. Enterprises, Plot No. F-689, M.G. Road Industrial Area, Hapur	20.06.2023	Non-Complying	UPPCB issued closure order dated 20.07.2023 U/S 32(1)(C) of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 and show cause for impositions of Environmental compensation of Rs. 16,50,000.
42.	M/s VDH Chemtech Private Limited, H 127 to 144 M G Road Industrial Area, Hapur	20.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023
43.	M/s M.K. Industries Plot No. B-56, Phase-1, M.G. Road Industrial area, Hapur	20.06.2023	Non-Complying	Closure order issued vide letter dated 20.07.2023 U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500 per day till the compliance has been done by industry.
44.	M/s Green Earth Recycler , Plot No. F-557, Industrial Areal, M	27.06.2023	Complying	-

*Handwritten signature*

	G Road, Hapur			
45.	M/s Eminent Polychem, Plot No-G 409, M G Road, Industrial Area,Hapur	27.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 27.07.2023
46.	M/S Akshay Mechotronics (India), Plot No. G-410, Phase – II, M.G. Road Industrial Area, Hapur	27.06.2023	Non-Complying	Issuance of Closure order U/S 32(1)(C) of water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 10,000 per day till the compliance has been done by industry is under process.
47.	M/s A Q Recycling, Plot No-F-639, UPSIDC, Industrial Area, M. G. Road, Hapur	27.06.2023	Complying	-
48.	M/s A S Enterprises, F- 644 ,F-643, M G Road Industrial Area, Hapur	27.06.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023
49.	M/s DKY Sales Pvt Ltd , F-699, F-700, F-701 and G-633, G-634, G-635, MG Road, Industrial Area, Hapur	20.07.2023	Complying	-
50.	M/s Greenberry RG Healthcare (India) Pvt Ltd , F -710 to 715, Phase –I, MG Road, Industrial Area, Hapur	20.07.2023	Non-Complying	Issuance of Show Cause Notice U/S 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, along with impositions of Environmental compensation of Rs. 7,500 per day till the compliance has been done by industry is under process.
51.	M/s Centramac , F-676 to 678, M.G. Road, Industrial Area, Hapur	20.07.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 26.07.2023

*copy*

52.	M/s MGL Pharma and Chemicals Pvt Ltd, F-665 & 666, Phase-1, Industrial Area, M.G. Road, Hapur	20.07.2023	Non-Complying	UPPCB has sent notice for compliance vide letter dated 25.07.2023
-----	---	------------	---------------	---

Joint committee had inspected 52 Industries. Further as per the directions the inspections of rest Hazardous units situated in industrial as well as non-conforming area of District Hapur are being conducted in ongoing manner.

  
(Vipul Kumar)  
AEE, UPPCB  
Ghaziabad

  
(Kishan Singh)  
AEE, UPPCB  
Ghaziabad

  
(Ashbir Singh)  
Scientist 'D'  
CPCB, New Delhi

  
(Shubham Srivastav)  
Sub-Divisional  
Magistrate  
Collectrate Hapur

सां गरीम हरित आंदोलन, नई दिल्ली से प्रेषित OA-NO-97/2022  
 Sadman Miya versus State of Uttar Pradesh के प्रारंभ आदेश दिनांक  
 16.3.2022 के अनुपालन में गरीम संयुक्त समिति के सदस्य  
 द्वारा उद्योगों के निरीक्षण हेतु आज दिनांक 19/05/2023  
 को कलकत्ता हाउस (उपजलाधिकारी कलकत्ता हाउस कक्षा) में  
 बैठक (भारत 11 बजे) की गयी। बैठक में सदस्यों द्वारा उद्योगों  
 के निरीक्षण विषयों के पूर्ण रूप से तयार रखे जाने,  
 जिलाधिकारी महोदय हाउस के साथ उद्योग प्रतीनिधियों के साथ  
 बैठक कर सां गरीम हरित आंदोलन द्वारा प्रारंभ आदेश  
 के अंत में अवगत कराए जाने पर चर्चा की गयी।  
 बैठक के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक, UPSIJA द्वारा 3050 प्रकरण निष्पन्न  
 और के प्रेषित की गई। उद्योगों की सूची के आधार  
 पर सूची में उल्लिखित क्षेत्रीय उद्योगों के निरीक्षण  
 पर (सूची बंद) विषयों पर चर्चा की गयी।

← Singh  
 19/05/23.  
 Kiran Singh  
 ARIE  
 UPPCB  
 Ghaziabad.

Amr  
 Anshu Singh  
 Scientist-D  
 CPCB Delhi

Shubham Srivastav  
 19/5/23  
 SDM  
 Collector, Hapur



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 19852/C-1 / वायु / सा0-1401 / का0ब0नो0 / 2023

Date: 5-7-23  
पंजीकृत

मैसर्स एम0 जे0 रिसाईकिलिंग  
प्लाट नं0-एफ-44, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स एम0 जे0 रिसाईकिलिंग प्लाट नं0-एफ-44, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर निरीक्षण के दौरान पाया गया उक्त प्लाट पर मैन्चुल प्रक्रिया द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेलिंग का कार्य किया जाता है। जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में उद्योग मैसर्स एम0 जे0 रिसाईकिलिंग प्लाट नं0-एफ-44, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ का निरीक्षण किया गया। उद्योग में जल का प्रयोग मात्र घरेलू प्रयोजन में किया जाता है। ई-वेस्ट डिस्मेलिंग प्रक्रिया से जनित प्रक्रिया उत्सर्जन नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त उद्योग स्वामी मो0 जाविर है तथा उद्योग का संचालन 03 माह पूर्व किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है।

यह कि उद्योग मैसर्स एम0 जे0 रिसाईकिलिंग प्लाट नं0-एफ-44, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स एम0 जे0 रिसाईकिलिंग प्लाट नं0-एफ-44, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स एम0 जे0 रिसाईकिलिंग प्लाट नं0-एफ-44, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स एम0 जे0 रिसाईकिलिंग प्लाट नं0-एफ-44, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

.....2/--

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।


सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

  
(विवेक राय)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  


प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
  

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 119/851 / C-1 / वायु / सा0-1399 / का0ब0नो0 / 2023

Date: 5/7/23  
पंजीकृत

मैसर्स जनसेवा मेटल,  
प्लाट नं0-एफ-6 एण्ड 7, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स जनसेवा मेटल, प्लाट नं0-एफ-6 एण्ड 7, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर कच्चे माल के रूप में आर्यन स्केप, पिग आर्यन का प्रयोग करते हुये कुप्पला फर्नेस के माध्यम से सी0ई0 कास्टिंग का कार्य किया जाता है। जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में उद्योग मैसर्स जनसेवा मेटल, प्लाट नं0-एफ-6 एण्ड 7, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में मेटल को गलाने हेतु एक कुप्पला फर्नेस क्षमता 01 टन/हीट स्थापित व कार्यरत पायी गयी, जिसमें ईंधन हेतु हार्डकोक का प्रयोग होता हुआ पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है।

यह कि उद्योग मैसर्स जनसेवा मेटल, प्लाट नं0-एफ-6 एण्ड 7, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स जनसेवा मेटल, प्लाट नं0-एफ-6 एण्ड 7, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स जनसेवा मेटल, प्लाट नं0-एफ-6 एण्ड 7, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स जनसेवा मेटल, प्लाट नं0-एफ-6 एण्ड 7, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

  
(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1







उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 497891

/C-1/जल/सा0-1397/का0ब0नो0/2023

Date: 19-7-23  
पंजीकृत

मो0 जाकी,  
प्लाट नं0-एफ-85, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र  
हापुड़।

यह कि उद्योग मो0 जाकी, प्लाट नं0-एफ-85, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल मैन्सुल प्रक्रिया द्वारा पी0सी0वी0 बोर्ड को डिस्मैन्टिलिंग कर नाईट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में डिजाल्व कर गोल्ड एवं अनय गेटल को पृथक्कीकरण करने के उपरान्त पोर्ट भटती में गलाने का काय जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के कम में उद्योग मो0 जाकी, प्लाट नं0-एफ-85, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ का निरीक्षण किया गया। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह जनन न होने के कारण उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण नहीं किया जा सका। निरीक्षण के दौरान उद्योग मैटल को गलाने हेतु एक पोर्ट फर्नेस रखी हुयी पायी गयी, जिससे ईंधन हेतु कोयला का प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया तथा उक्त पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है।

यह कि उद्योग मो0 जाकी, प्लाट नं0-एफ-85, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स चिन्तामनि यादव, प्लाट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मो0 जाकी, प्लाट नं0-एफ-85, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मो0 जाकी, प्लाट नं0-एफ-85, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्डा  
गोमतीनगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

C-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e-mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 499976 /C-1/जल/सा0-1398/का0ब0नो0/2023

Date: 20/7/23

पंजीकृत

मैसर्स चिन्तामनि यादव,  
प्लॉट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स चिन्तामनि यादव, प्लॉट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल मैन्डुल प्रक्रिया द्वारा पी0सी0बी0 बोर्ड को डिस्मेटिलिंग कर नाईट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में डिजाल्व कर गोल्ड एवं अनय मेटल को पृथक्कीकरण करने के उपरान्त पोर्ट भट्टी में गलाने का काय जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के कम में उद्योग मैसर्स चिन्तामनि यादव, प्लॉट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ का निरीक्षण किया गया। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह जनन न होने के कारण उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण नहीं किया जा सका। निरीक्षण के दौरान उद्योग मेटल को गलाने हेतु एक पोर्ट फर्नेस रखी हुयी पायी गयी, जिससे ईंधन हेतु कोयला का प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया तथा उक्त पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है।

यह कि उद्योग मैसर्स चिन्तामनि यादव, प्लॉट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स चिन्तामनि यादव, प्लॉट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स चिन्तामनि यादव, प्लॉट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स चिन्तामनि यादव, प्लॉट नं0-एफ-86, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

... 2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, **होशियारपुर**।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 496865 / C-1 / जल / एच-59 / का0ब0नो0 / 2023

Date: 5/7/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स वर्दीन केमिकल्स,  
प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड,  
यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Manganese Carbonate, Nickel Carbonate, Nickel Sulphate, Lithium Carbonate, Lithium Sulphate, Copper Carbonate, Black Mass-659 MT/Month के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं०-97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 29.05.2023 को मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर में स्थित ड्रेन में ब्लैक कलर की स्लज पायी गयी, जिसके क्रम में पाया गया कि उद्योग द्वारा फ्लोर वाशिंग एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित वैट स्कबर में प्रयुक्त जल को बिना शुद्धिकृत किये उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता है तथा उक्त के शुद्धिकरण हेतु मात्र एक कलेक्शन टैंक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उक्त टैंक स्लज से पूर्ण रूप से भरा हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर में कच्चे माल, केमिकल्स, जनित हैजार्डस अपशिष्ट का रख रखाव उचित नहीं पाया गया।

यह कि उद्योग मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ को बोर्ड द्वारा इकाई के संचालन हेतु प्रदत्त सहमति (जल) को रिवोक कर दिया जाये?
2. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?

.....2/-

टी०सी०-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फ़ैक्स : 0522-2720764

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764

3. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स वर्दीन केमिकल्स, प्लॉट नं०-डी-11, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 713/5-1186/2023

दिनांक 27/07/2023

मैसर्स 6 आर रिसार्इकलर,  
प्लॉट नं० एफ-272,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत जारी जल/वायु सहमति में इंगित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-272, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 05.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में 04 पिट फर्नेस स्थापित पाये गये, जबकि आपके उद्योग को 01 पिट फर्नेस के संचालन हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति में इंगित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

*Ok*



**352**  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**Annexure-VIII**

Ref No: **197893** /C-1/वायु/सा0-1402/का0ब0न0/2023

Date: **19/7/23**  
पंजीकृत

मैसर्स टोजो विकास इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0,  
प्लाट नं0-एफ-289 से 291, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स टोजो विकास इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, प्लाट नं0-एफ-289 से 291, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर कच्चे माल के रूप में मैन्थाल का प्रयोग कर डिस्टलेशन प्रक्रिया द्वारा एसोन्शियल आर्येल का उत्पादन किया जाता है। जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में उद्योग मैसर्स टोजो विकास इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, प्लाट नं0-एफ-289 से 291, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ का निरीक्षण किया गया। में हीटिंग कार्य हेतु 02 थर्मोपैक क्षमता 6 लाख किलो कैलोरी प्रतिघण्टा एवं 4 लाख किलो कैलोरी प्रतिघण्टा स्थापित पाये गये, जिसमें से 4 लाख किलो कैलोरी प्रतिघण्टा का थर्मोपैक डिस्टलेशन अवस्था में स्थापित है तथा 6 लाख किलो कैलोरी प्रतिघण्टा का थर्मोपैक कार्यरत है। उक्त थर्मोपैक पर वायु (प्रदूषण नियंत्रण हेतु साईक्लोन डस्ट कलेक्टर व भू-तल से 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उद्योग में कार्यरत थर्मोपैक क्षमता 6 लाख किलो कैलोरी प्रतिघण्टा में ईंधन हेतु लकड़ी का प्रयोग होता हुआ पाया गया। जबकि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति वायु में ग्रीन सहमति वायु में ग्रीन फ्योल अनुमन्य है। उद्योग द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक वैध ईंधन पर परिवर्तित किया जाना था। जो कि उद्योग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

यह कि उद्योग मैसर्स टोजो विकास इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, प्लाट नं0-एफ-289 से 291, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स टोजो विकास इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, प्लाट नं0-एफ-289 से 291, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स टोजो विकास इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, प्लाट नं0-एफ-289 से 291, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स टोजो विकास इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, प्लाट नं0-एफ-289 से 291, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्डा  
गोमतीनगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720661  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

C-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720661  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर रू० 9,75,000/- (रू० नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-

/C-1 / वायु / सा0-1404 / का0ब0नो0 / 2023

Date:

पंजीकृत

मैसर्स लक्ष्मी केमी प्रोडक्ट्स प्रा0लि0,  
प्लॉट नं0-एफ-319 से 322, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमी प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0-एफ-319 से 322, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल उद्योग में इथाइल एसीटेट, साल्वेंट इत्यादि केमिकल का प्रयोग कर ब्लेंडिंग प्रक्रिया द्वारा थिनर, इंक इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमी प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0-एफ-319 से 322, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ का निरीक्षण किया गया। उद्योग में जल का प्रयोग मात्र घरेलू प्रयोजन में किया जाता है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रोसेस इमीशन नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर में इथाइल एसीटेट, साल्वेंट थिनर इत्यादि केमिकल से भरे हुये लगभग 350 ड्रम (200 कि0ग्रा0/नग) भण्डारित पाये गये। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है।

यह कि उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमी प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0-एफ-319 से 322, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमी प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0-एफ-319 से 322, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमी प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0-एफ-319 से 322, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमी प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0-एफ-319 से 322, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न उद्योग द्वारा राहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, हनुमानगढ़ ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 604/C/Vision/2023

दिनांक 25/2/2023

मैसर्स विजन रेजिन्स रिसोल प्रा० लि०,  
प्लॉट नं० एफ-273 से 274, फेज-1,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-273 से 274, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 05.06.2027 एवं दिनांक 20.07.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से किया जाता नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपि लि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Dr. Laxman

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 708 / C/R 90/2023

दिनांक 24/7/2023

मैसर्स इनकोटेक इंक पी०जी०,  
प्लॉट नं० एफ-630 से 635, फेज-1,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-630 से 635, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 05.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उद्योग में जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

*(Signature)*



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. H 99995 / C-1 / वायु / एच-176 / का0ब0नो0 / 2023

Date: 20/7/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स ए0एच0सी0ओ0 रिसाइकिलिंग,  
प्लॉट नं0 एफ-583, फेज-2, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स ए0एच0सी0ओ0 रिसाइकिलिंग, प्लॉट नं0 एफ-583, फेज-2, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग कर कटिंग एवं दाना बनाने के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित रथल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-97/2022 सलमान मियां बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग मैसर्स ए0एच0सी0ओ0 रिसाइकिलिंग, प्लॉट नं0 एफ-583, फेज-2, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण दिनांक 05.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं किया गया है। उद्योग में प्लास्टिक कटिंग एवं दाना बनाने वाली मशीन पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

यह कि उद्योग मैसर्स ए0एच0सी0ओ0 रिसाइकिलिंग, प्लॉट नं0 एफ-583, फेज-2, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज़ापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन औद्योगिक इकाई मैसर्स ए0एच0सी0ओ0 रिसाइकिलिंग, प्लॉट नं0 एफ-583, फेज-2, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स ए0एच0सी0ओ0 रिसाइकिलिंग, प्लॉट नं0 एफ-583, फेज-2, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स ए०एच०सी०ओ० रिसाइकिलिंग, प्लॉट नं० एफ-583, फेज-2, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक रू० 7500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 705/A/C/C-64/2023

दिनांक 26/01/2023

मैसर्स ओमसंस केमिकल्स,  
प्लॉट नं0 जी-285,  
एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं0 जी-285, एम0जी0 रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.06.2023 को यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र एम0जी0 रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग में जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

09/01/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. H/97892 / C-1 / जल / सा0-1403 / का0ब0न0 / 2023

Date: 19-7-23  
पंजीकृत

मैसर्स परारा उद्योग,  
प्लाट नं0-एफ-195 एण्ड-196, फेज-1, एम0जी0 रोड,  
यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स परारा उद्योग, प्लाट नं0-एफ-195 एण्ड-196, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर कच्चे माल के रूप में वेस्ट केमिकल ड्रम का प्रयोग कर Reconditioning of All Type Used, Contaminated Barrels Containers 1800 Nos Per Day का कार्य किया जाता है। जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के कम में उद्योग मैसर्स परारा उद्योग, प्लाट नं0-एफ-195 एण्ड-196, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ का निरीक्षण किया गया। उद्योग में जल का प्रयोग मात्र घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन (ड्रम वाशिंग) में किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से एवं औद्योगिक उत्प्रवाह को ई0टी0पी0 के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 कार्यरत पाया गया अशुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह कलेक्शन टैंक से बाईपास स्थापित व्यवस्था के माध्यम से उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित होता हुआ पाया गया।

यह कि उद्योग मैसर्स परारा उद्योग, प्लाट नं0-एफ-195 एण्ड-196, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स परारा उद्योग, प्लाट नं0-एफ-195 एण्ड-196, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स परारा उद्योग, प्लाट नं0-एफ-195 एण्ड-196, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स परारा उद्योग, प्लाट नं0-एफ-195 एण्ड-196, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

.....2/-

टी0सी0-12वी, विभूति खण्डा  
गोमतीनगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764

C-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि वयो न उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयवाधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: ... 12/05/2023-1256/2023

दिनांक 22/07/2023

मैसर्स श्रीबालाजी इन्टरप्राइजेज,  
प्लॉट नं० जी-34-35, एफ-34,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़

**विषय: Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement ) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० जी-34-35, एफ-34, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement ) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनित हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण का सम्बन्धी अभिलेख (फार्म 10) प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement) Rule 2016 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी  
De Wapuz



364

Annexure - XVII

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 716/CR-140/2023

दिनांक 21/07/2023

मैसर्स आर०एस० आग्नेनिक्स प्रा० लि०,  
प्लॉट नं० एफ-156 से 159, एम०जी० रोड,  
यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़

**विषय: Mfg., Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-156 से 159, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Mfg., Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 में निहित प्राविधानों का अनुपालन होता नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि Mfg., Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

*Signature*

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 2023/CPA/462/2023

दिनांक 28/7/2023

मैसर्स मार्टिन हार्डवेयर प्रा०लि०,  
प्लॉट नं० एफ-175, 176, 177,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़

**विषय: Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-175, 176, 177, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Ok uppcb



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 705/10/S-1156/2023

दिनांक 26/2/2023

मैसर्स एस०आर०के० इन्टरप्राइजेज,  
प्लॉट नं० एफ-144, फेज-1,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-144, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 07.06.2027 एवं दिनांक 20.07.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से किया जाता नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7/2/2023

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 19/250/C-1/वायु/सा0-1400/का0ब0न0/2023

Date: 5/7/23  
पंजीकृत

मैसर्स गणपति वायर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स  
प्लाट नं0-एफ-391, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स गणपति वायर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्लाट नं0-एफ-391, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर कच्चे माल के रूप कच्चे माल के रूप में आर्यन उद्योग से जनित वेस्ट/हैजार्डस अशिष्ट सलपयूरिक एसिड/स्पेंट एसिड, आर्यन डस्ट का प्रयोग कर मिक्सिंग, फिल्टरेशन प्रक्रिया द्वारा फेरस सलफेट का उत्पादन किया जाता है। जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में उद्योग मैसर्स गणपति वायर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्लाट नं0-एफ-391, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ का निरीक्षण किया गया। की औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान नमूना जनन न होने के कारण नमूना एकत्रण का कार्य नहीं किया जा सका। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है।

यह कि उद्योग मैसर्स गणपति वायर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्लाट नं0-एफ-391, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जनसामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स गणपति वायर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्लाट नं0-एफ-391, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स गणपति वायर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्लाट नं0-एफ-391, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स गणपति वायर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्लाट नं0-एफ-391, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें ?

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।


सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

  
(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
*an*

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
*re*



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 198658 / C-1 / वायु / एच-167 / काठनो / 2023

Date: 28/7/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स एम0डी0टी0 लुब्रिकेन्ट्स,  
प्लॉट नं0-एफ-125, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स एम0डी0टी0 लुब्रिकेन्ट्स, प्लॉट नं0-एफ-125, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में बेस ऑयल, एडीटिव्स का प्रयोग कर ब्लेंडिंग एवं रियेक्शन प्रक्रिया द्वारा लुब्रिकेन्ट्स के उत्पादन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-97 / 2022 सलमान मियां बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग मैसर्स एम0डी0टी0 लुब्रिकेन्ट्स, प्लॉट नं0-एफ-125, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण दिनांक 12.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में उद्योग बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये ही संचालित है। उद्योग में हैजार्डस अपशिष्ट के रूप में जनित केमिकल्स ड्रम्स, कन्टेनर्स, वेस्ट कॉटन इत्यादि को कबाड़ी के माध्यम से डिस्पोज किया जाना अवगत कराया गया। उद्योग द्वारा हैजार्डस प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है।

यह कि उद्योग मैसर्स एम0डी0टी0 लुब्रिकेन्ट्स, प्लॉट नं0-एफ-125, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन औद्योगिक इकाई मैसर्स एम0डी0टी0 लुब्रिकेन्ट्स, प्लॉट नं0-एफ-125, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स एम0डी0टी0 लुब्रिकेन्ट्स, प्लॉट नं0-एफ-125, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स एम0डी0टी0 लुब्रिकेन्ट्स, प्लॉट नं0-एफ-125, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com, uppcb@uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e-mail : info@uppcb.com, uppcb@uppcb.com





क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 724/C/T-141/2023

दिनांक 28/7/2023

मैसर्स त्रिवेणी मेडीकेम प्रा०लि०,  
प्लॉट नं० बी-12,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० बी-12, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग में जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

  
(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:—

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
G. K. Mishra



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 198556/C-1/वायु/एच-169/काठानो/2023

Date: 23/7/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स,  
प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में साल्वेन्ट, थिनर, पिगमेन्ट इत्यादि केमिकल्स का प्रयोग कर ब्लेंडिंग प्रक्रिया द्वारा प्रिन्टिंग इंक के उत्पादन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं०-97/2022 सलमान मियां बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये ही संचालित है। उद्योग में हैजार्डस अपशिष्ट के रूप में जनित केमिकल्स ड्रम्स, कन्टेनर्स, वेस्ट इंक इत्यादि को कबाड़ी के माध्यम से डिस्पोज किया जाना अवगत कराया गया। उद्योग द्वारा हैजार्डस प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है।

यह कि उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन औद्योगिक इकाई मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.....2/-

टी०सी०-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

-2-

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, प्लॉट नं०-एफ-24, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गार्डलाईन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक रू० 7500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 198557/C-1/वायु/एच-168/का0ब0नो0/2023  
सेवा में

Date: 28/7/23

पंजीकृत

मैसर्स हैलो एरोमेटिक्स प्रा0लि0,  
खसरा नं0-19, ग्राम देहरा, धौलाना,  
हापुड़।

यह कि उद्योग मैसर्स हैलो एरोमेटिक्स प्रा0लि0, खसरा नं0-19, ग्राम देहरा, धौलाना, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में डि-पैन्टीन, डि-लिमोलीन इत्यादि का प्रयोग कर डिस्टिलेशन एवं रियेक्शन प्रक्रिया द्वारा L-Carvone-12.75 MT/Month, Carvacarol-9.60 MT/Month, Menthol-10.50 MT/Month, Menthone-10.50 MT/Month, Carvone-30.60 MT/Month के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-97/2022 सलमान मियां बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग मैसर्स हैलो एरोमेटिक्स प्रा0लि0, खसरा नं0-19, ग्राम देहरा, धौलाना, हापुड़ का निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 को किया गया। उक्त क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को सी0ए0क्यू0एम0 आदेश संख्या 62 के अनुपालन में दिनांक 31.12.2022 तक वैध ईंधन पर परिवर्तित किया जाना था परन्तु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग द्वारा परिसर में स्थापित 10 लाख किलो कैलोरी एवं 02 लाख किलो कैलोरी के थर्मोपैक पर ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स हैलो एरोमेटिक्स प्रा0लि0, खसरा नं0-19, ग्राम देहरा, धौलाना, हापुड़ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन औद्योगिक इकाई मैसर्स हैलो एरोमेटिक्स प्रा0लि0, खसरा नं0-19, ग्राम देहरा, धौलाना, हापुड़ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स हैलो एरोमेटिक्स प्रा0लि0, खसरा नं0-19, ग्राम देहरा, धौलाना, हापुड़ में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2/-

टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

उह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वहीँत उत्सवों के दुर्घटना उद्योग मैसर्स तामी मैमिकल्स, फॉटि नं०-एफ-२४, फॉटि-१, एमएलसी रोड, ओडोरोगिक क्षेत्र, बापुड के विरुद्ध मा। एनएपीएटी। के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आई.टी.आई. के आधार पर अनुपातन की तिथि तक सा 7500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरेखित कर दी जावे।

उपरोक्त कारण बनाये मोरिख के लक्ष्य के अनुसार समीक्षा इस तब प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करे। विभाजित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जायेगी। विभाजित समयावधि उत्तरदायित्व तब उद्योग एवं उद्योग सागी का होगा।

सशम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(निर्देशक का)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, कृत-1

प्रतिलिपि -

1. जिलाधिकारी, बापुड।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, ज०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, माजिगाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संरक्षित सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, कृत-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppqb.com, e-mail: roghaziabad@uppqb.in

पत्रांक: 715/1/E-85/2023

दिनांक 22/12/2023

मैसर्स इस्क्वायर इस्टेट प्रा० लि०,  
प्लॉट नं० एफ-685 से 688, एम०जी० रोड,  
यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड

**विषय: Mfg., Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-685 से 688, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Mfg., Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 में निहित प्राविधानों का अनुपालन होता नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि Mfg., Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

9/12/2023

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. **497974**

/C-1/जल/एच-164/2023

Date: **20/7/23**

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स आर0एस0 इण्टरप्राइजेज,  
प्लॉट नं0-एफ-689, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़।

यह कि मैसर्स आर0एस0 इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-एफ-689, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा जो ई-वेस्ट (पी0सी0 बोर्ड) की ग्राइंडिंग के उपरान्त मेटल्स एवं फाइबर को अलग करने हेतु वाशिंग के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-97/2022 सलमान मियां बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग मैसर्स आर0एस0 इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-एफ-689, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाशिंग प्रक्रिया से फाइबर एवं अन्य मैटेरियल युक्त जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पाया गया। उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे बोर्ड निर्देशों के उल्लंघन से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 32(1)(सी) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मैसर्स आर0एस0 इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-एफ-689, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ में संचालन /उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मैसर्स आर0एस0 इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-एफ-689, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर दिनांक 01.01.2023 से निरीक्षण दिनांक 14.06.2023 तक कुल 165 डिफाल्टर दिवस हेतु रू0 16,50,000/- (रू0 सोलह लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में मैसर्स आर0एस0 इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं0-एफ-689, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

टोसी0-12वा, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010

दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

फैक्स : 0522-2720764

ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

Dr. C-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

Fax : 0522-2720764

94



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 206/CP/W/198/2023

दिनांक 26/07/2023

मैसर्स वी०डी०एच० केमटैक प्रा०लि०,  
प्लॉट नं० एच-127 से 144,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड

**विषय: Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement ) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एच-127 से 144, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement ) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement) Rule 2016 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

01/07/2023

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-

सेवा में,

मैसर्स एम0के0 इण्डस्ट्रीज,  
प्लॉट नं0-बी-56, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़।

Date: 20/07/23

पंजीकृत

यह कि मैसर्स एम0के0 इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं0-बी-56, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो साल्वेन्ट एवं थिनर के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-97/2022 सलमान मियां बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग मैसर्स एम0के0 इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं0-बी-56, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही संचालित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाईयों को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि उद्योग मैसर्स एम0के0 इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं0-बी-56, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मैसर्स एम0के0 इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं0-बी-56, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर अनुपालन की तिथि तक रू0 7500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में मैसर्स एम0के0 इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं0-बी-56, फेज-1, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khanda,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 714/C/E-105/2023

दिनांक 27/06/2023

मैसर्स इमीनेट पालीमर्स,  
प्लॉट नं० जी-409,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़

**विषय: Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement ) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० जी-409, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement ) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनित हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण का सम्बन्धी अभिलेख (फार्म 10) प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध Hazardous and other waste (Mangement and transboundry movement) Rule 2016 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:—

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



492  
492  
क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 492 / e/A-003 / 2023

दिनांक 28/6/2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:** मैसर्स **Akshay Mechatronics (India)**, प्लाट नं जी-410, फेज-2, एम०जी० रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हापुड के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान प्लाट नं० जी-410 फेज-2, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं किया गया है। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने एवं रू० 10,000/- प्रतिदिन की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

**संलग्नक:** उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद। दूरभाष-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

**मैसर्स Akshay Mechatronics (India), प्लाट नं जी-410, फेज-2, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र एम0जी0 रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान प्लाट नं जी-410, फेज-2, एम0जी0 रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया एवं उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री अक्षय कुमार उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में एम0एस0 शीट, फास्फेटिंग केमिकल्स, कोटिंग पाउडर का प्रयोग कर इलेक्ट्रीक पैनल, स्वीच गेयर बाक्स इत्यादि का उत्पादन किया जाता है।
2. उद्योग की फास्फेटिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि फास्फेटिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को टैंकर के माध्यम से उद्योग परिसर के बाहर फँका जाता है। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह जनन न होने के कारण नमूना एकत्रण का कार्य नहीं किया जा सका।
3. उद्योग में एक ओवन कार्यरत पायी गयी, जिसमें ईंधन हेतु डीजल का प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया, जबकि सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा एनसीआर क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद हापुड में 01.01.2023 से डीजल का प्रयोग प्रतिबन्धित है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



4. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं किया गया है।
5. उद्योग पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित गाइड लाइन के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। उक्त की गणना निम्नवत् है:-

**PI= Pollution index of Industrial sector- Environmental Compensation** हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार Pollution index range लाल श्रेणी के उद्योगों हेतु 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution index 80, 50 व 30 का सुझाव दिया गया है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है तथा उद्योग लाल श्रेणी का है। **Environmental Compensation** हेतु गाइड लाइन के सुझाव के अनुसार गणना सूत्र में **PI - 80** को आधार माना जा सकता है।

**N= Number of days of violation took place-** भविष्य में उद्योग संचालन के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने तिथि से अनुपालन किये जाने की तिथि तक।

**R= R is a factor in Rupees for penalty - Environmental Compensation** हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार **R** मिनिमम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदसुझाव अनुसार गणना सूत्र में **R=250** को आधार माना जा सकता है।

**S= Factor for scale of operation-** उक्त उद्योग लघु श्रेणी का है, **Environmental Compensation** हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार गणना सूत्र में **S=0.5** को आधार माना जा सकता है।

**LF= Location Factor-** उक्त उद्योग जनपद हापुड की तहसील धौलाना में स्थापित है। उद्योग नगर पालिका परिषद, पिलखुआ के 10 कि०मी० परिधि में है, उक्त क्षेत्र की कुल आवादी लगभग 10 लाख से कम है। गणना सूत्र में 10 लाख से कम जनसंख्या पर लोकेशन फैक्टर का मान 1.0 दिया गया है। अतः गणना सूत्र में **LF=1.0** को आधार माना जा सकता है।

उपरोक्तानुसार उद्योग के विरुद्ध गाइड लाइन सूत्र के अनुसार प्रतिदिन **Environmental Compensation** हेतु गणना निम्नवत् है-

$$\begin{aligned} EC &= PI \times N \times R \times S \times LF, \\ &= 80 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 \\ &= 10,000/- \text{ (रूपया दस हजार मात्र) प्रतिदिन} \end{aligned}$$

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने एवं रु० 10,000/प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अनिल कुमार गुप्ता)  
वैज्ञानिक सहायक

(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 704/ए/आ-503-1/2023

दिनांक 26/7/2023

मैसर्स ए0एस0 इन्टरप्राइजेज,  
प्लॉट नं0 एफ-644, एफ-643,  
एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़

**विषय: Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं0 एफ-644, एफ-643, एम0जी0 रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र एम0जी0 रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपिलि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

of uppcb



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

पत्रांक: 692/EG-408/2023

दिनांक 25/8/2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:** मैसर्स ग्रीनबेरी आ०जी० हेल्थकेयर (इण्डिया) प्रा० लि०, प्लाट नं० एफ-710 से 715, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लाट नं० एफ-710 से 715, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.07.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में PET film, ethyl acetate and inks का प्रयोग कर Flexible Packaging का कार्य किया जाता है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग द्वारा Flexible Packaging कार्य हेतु बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं किया गया है। विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है।

उपरोक्तानुसार उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स एम०जे० रिसाईकिलिंग, प्लाट नं-एफ-710 से 715, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने एवं उद्योग द्वारा उद्योग संचालन तिथि सत्यापन एवं बैलेन्स शीट प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

Oh up...

मैसर्स ग्रीनबेरी आ0जी0 हेल्थकेयर (इण्डिया) प्रा0 लि0, प्लाट नं0 एफ-710 से 715, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लाट नं0 एफ-710 से 715, फेज-1, एम0जी0 रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.07.2023 को यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र एम0जी0 रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया एवं उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री धनजय सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में PET film, ethyl acetate and inks का प्रयोग कर Flexible Packaging का कार्य किया जाता है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग द्वारा Flexible Packaging कार्य हेतु बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं किया गया है।
3. उद्योग द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में किया जाता है।
4. निरीक्षण के समय उद्योग में प्रक्रिया से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण रोड साइड में किया जाता पाया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



उपरोक्तानुसार उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स एम0जे0 रिसाईकिलिंग, प्लाट नं-एफ-710 से 715, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने एवं उद्योग द्वारा उद्योग संचालन तिथि सत्यापन एवं बैलेन्स शीट प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(अनिल कुमार गुप्ता)  
वैज्ञानिक सहायक

  
(विपुल कुमार)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: 709/10-176/2023

दिनांक 26/7/2023

मैसर्स सेंद्रामेक,  
प्लॉट नं० एफ-676 से 678, फेज-1,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड़।

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-676 से 678, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.07.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड़ में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Management and transboundary movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन किया जाता नहीं पाया गया तथा सह-उत्पाद के रूप में उत्पाद कार्बन ब्लैक का भण्डारण खुले में भण्डारित पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपि लि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

पत्रांक: ... 693/2023-457/2023

दिनांक 25/2/2023

मैसर्स एम०जी०एल० फार्मा एण्ड केमिकल प्रा०लि०,  
प्लॉट नं० एफ-665 से 666, फेज-1,  
एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र,  
हापुड

**विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा Hazardous and other waste (Mangement and transboundrv movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 97/2022 सलमान मिया बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश प्लॉट नं० एफ-665 से 666, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.07.2023 को यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र एम०जी० रोड, जनपद हापुड में स्थापित/संचालित उद्योगों के निरीक्षण के दौरान में कार्यरत उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके उद्योग द्वारा Hazardous and other waste (Mangement and transboundrv movement) Rule 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से किया जाता नहीं पाया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 01 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिपिपि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7/2/2023

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010